संख्या - 000/वी.जी.एल/187
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 08.01.2004

कार्यालय आदेश सं0 2/1/04

सेवा में

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

विषय: संयुक्त मामलों में आयोग की सलाह प्राप्त करना ।

महोदय,

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता प्रबंधन पर विशेष अध्याय के पैरा 16.2 में यह प्रावधान है कि यदि सार्वजनिक उपक्रम का एक कर्मचारी किसी मामले में शामिल है जो आयोग की अधिकारिता के भीतर आता है, तो आयोग की सलाह आवश्यक होगी तथा इस समय में अनुशासनिक प्राधिकारी का कोई भी निर्णय अनंतिम समझा जाएगा । एक अधिकारी/स्टाफ के संबंध में जो आयोग की अधिकारिता के भीतर नहीं आता है, यदि वह अन्य अधिकारियों के साथ मामले में शामिल है जो आयोग की अधिकारिता के भीतर आते हैं तो ऐसा संदर्भ भी भेजने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तब मामला संयुक्त मामला होगा तथा आयोग की अधिकारिता के भीतर आएगा ।

2. तथापि, आयोग द्वारा यह प्रेक्षित किया गया है कि कई संगठन इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं तथा संयुक्त मामले में संदिग्ध कर्मचारियों को अलग कर रहे हैं । यह आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं । आयोग पुन: दोहराता है कि संयुक्त मामले में 'एक' के रूप में कार्रवाई की जानी चाहिए तथा प्रत्येक कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई केवल आयोग की सलाह पर ही की जानी चाहिए, भले ही मामले में आयोग की अधिकारिता के भीतर आने वाला केवल एक ही कर्मचारी हो ।

भवदीया

ह0/-
(अंजना दूबे)
उप सचिव